समाहरणालय, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

-: आदेश :-

संक्षिप्त विवरणीः- श्री सीताराम 'आजाद' राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा द्वारा कर्त्तव्य में लापरवाही बरतने अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने, राजस्व राशि जमा नहीं करने, राजस्व रसीद गायब करने, गलत जमाबन्दी कायम करने, किसानों की गलत सूची उपलब्ध कराने, समय पर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने, धोखाधड़ी करने, बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के दूसरे व्यक्ति के नाम जमाबन्दी कायम करने, सरकारी कार्य के प्रति रूची नहीं लेने इत्यादि आरोप के लिये अंचलाधिकारी, ग्वालपाड़ा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज के माध्यम से प्रपत्र 'क' विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु भेजा गया। प्राप्त प्रपत्र'क' के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक-711-2/स्था0, दिनांक 29.08.2013 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को संचालन पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से श्री आजाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित कर अधिगम प्राप्त हुआ।

आरोपः- 1. अंचल अधिकारी के ज्ञापांक-572-2, दिनांक-26.10.2010 से आरोप लगाया गया है कि पूर्व पदस्थापित स्थानों से अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र एवं सेवापुस्त अप्राप्त रहने के कारण वेतन भुगतान नहीं किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि वेतन भुगतान हेतु न तो कोई अभिरूची है और न ही वांछित कागजात हेतु कोई प्रयास किया जा रहा है।

2. श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना सूचना के अपने कर्त्तब्य से करीब तीन माह से अनुपस्थित रहने एवं वित्तीय वर्ष-2010-11 में ग्वालपाड़ा हाट के राजस्व वसूली एवं अपने प्रभार से संबंधित हल्का का कोई भी राजस्व आय जमा नहीं किये। इनके अनुपस्थिति के कारण भूमिहीन महादलित परिवारों को तीन डी0 जमीन ससमय आवंटन नहीं हो सका।

3. अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं वित्तीय वर्ष-2010-11 में वसूली गई लगान राशि जमा नहीं करने के संबंध में 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण मांग की गई थी, जो उनके अनुपस्थिति के कारण स-समय तामिला नहीं हो सका।

4. ग्राम पंचायत शाहपुर के मुखिया द्वारा आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2008 में आयी भंयकर बाढ़ में खेत में जमा बालू गढ्ढा के मुआबजा हेतु किसानों का गलत सूची बनाकर दबाव देकर हस्ताक्षर करवा लिया गयाा।

5. ग्राम पंचायत शाहपुर के मुखिया के आवेदन पत्र के आलोक में श्री आज़ाद से गलत किसानों की सूची बनाने के संबंध में 24 घंटे के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गई, जो अप्राप्त है।

6. राजस्व से संबंधित दिनांक 03.05.2010 से 03.12.2010 तक के बीच कुल 16 परिवाद पत्र के निष्पादन हेतु जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई थी, जो ससमय उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण कार्यालय कार्य सम्पादन करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी।

7. अंचल ग्वालपाड़ा के हल्का सं0-1 एवं 3 का राजस्व कर्मचारी लगभग चार माह से बिना सूचना के अनुपस्थित रहने, सैरात एवं ग्वालपाड़ा हाट के साथ-साथ लगान से संबंधित राशि जमा नहीं करने तथा महादलित परिवारों को 3 डी0 जमीन उपलब्ध नहीं कराने का आरोप है।

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अंचल अधिकारी द्वारा अंचल निरीक्षण के कम में निर्धारित तिथि 20.11.2010 को इनके अनुपस्थिति के कारण इनके हल्का का निरीक्षण नहीं हो सका। दिनांक-10.11.2010 को भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता के निरीक्षण के समय भी उपस्थित नहीं हुए।

8. तत्कालीन प्रभारी अंचल निरीक्षक श्री संजय सिंह द्वारा लिखित सूचना दी गई कि वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं 2010-11 में हल्का सं0-01 एवं 03 में लगान वसूली की राशि मो0-91828.75 (एकानबे हजार आठ सौ उनतीस लगभग) राशि अंचल नजारत में जमा नहीं किया गया है। लगान रसीद सं0-896547, 897428 एवं 897429 जिल्द में नहीं पाया गया। वित्तीय वर्ष-2009-10 एवं 2010-11 में प्रपत्र IIIA एवं IIIAA संधारित नहीं किया गया। हल्का सं0-01 का कुल-07(सात) जमाबन्दी पंजी निरीक्षण के कम में नहीं दिखाया गया। जिसके कारण इनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए हल्का सं0-01 एवं 03 से प्राप्त लगान की राशि अविलम्ब जमा करने का निदेश दिया गया।

9. आजाद को पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव देने एवं अन्य निदेशों का पालन नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज से अनुरोध किया गया।

10. श्री उपेन्द्र प्रसाद यादव वर्त्तमान प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा सूचित किया गया कि माह–फरवरी 2012 में अपने कार्य से अनुपस्थित है, तथा सरकारी कार्यो में कोई दिलचस्पी नहीं होने माह–जनवरी 2012 से वसूली राशि नजारत में जमा नहीं करने महादलित, RTPS ; जनशिकायत आदि से संबंधित कार्यो में रूची नहीं लेने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

11. प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित आवेदन के आधार पर श्री आजाद राजस्व कर्मचारी बिना सूचना के कार्यक्षेत्र से अनुपस्थित रहने एवं महादलित परिवारों के जमीन आवंटन से संबंधित कार्य में रूची नहीं लेने, आर0टी0पी0एस0 जनशिकायत, पंजी लंबित रहने एवं कई माह के राजस्व वसूली राशि नजारत में जमा नहीं करने के संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचना देते हुए श्री आजाद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु अनुरोध किया गया।

12. मो0 शमशीर आलम, पिता–स्व0 नवीब उद्दीन एवं मो0 वसीम अकरम, पिता–स्व0 जसीम उद्दीन, ग्राम–खोखसी(शरणपुर),थाना–ग्वालपाड़ा द्वारा सूचित किया गया है कि श्री आजाद, रा0 कर्मचारी उनके नाम से चली आ रही जमाबंदी बिना किसी आदेश के दूसरे व्यक्ति के नाम से जमाबंदी कायम कर रसीद काटने संबंधी आरोप लगाये हैं। इस आरोप की जॉंच वर्त्तमान प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा कारवाई गई, जिसमें श्री आजाद द्वारा बिना किसी आदेश के उपर्युक्त आवेदक के जमीन का दूसरे नाम कायम कर रसीद काटने की बात सही पायी गई। जो सरकारी नियम की घोर उल्लंघन है।

13. श्री आजाद द्वारा उपर्युक्त व्यक्तियों के जमीन का गलत जमाबंदी कायम कर रसीद काटने एवं नियम के विरूद्ध सरकारी कार्य करने के स्वेच्छाचारी, बेलगाम, भ्रष्ट होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा इनके कार्यकलाप से अंचलाधिकारी को प्रायः शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ता है, उक्त आरोप के कारण कठोरतम दण्ड देने के साथ–साथ यथाशीघ्र अंचल ग्वालपाड़ा से स्थानान्तररित करने का अनुरोध किया गया है।

14. श्री वास्ता वास्की, उ0व0लिपिक, अंचल कार्यालय, चौसा द्वारा सूचित किया गया है कि जिस समय वे जिला विकास शाखा में पदस्थापित थे तब श्री आजाद राजस्व कर्मचारी ने अपने व्यक्तिगत ऋण पत्र पर जमानतदार के रूप में हस्ताक्षर करवा लिया। श्री आजाद को ऋण प्राप्त होने के पश्चात अपना ऋण स–समय नहीं लौटाने के कारण जमानतदार श्री वास्ता वास्की, उ0व0लिपिक के खाते में प्राप्त उनके वेतन वाली राशि में श्री आजाद का ऋण वसूली की जा रही है, जो श्री आजाद पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए श्री आजाद का वेतन खाता सं0–11424852920 में जमा करने का अनुरोध किया है।

<u>संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति :–</u>

इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–711–2/स्था0, दिनांक 29.08.2013 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को विभागीय कार्यवाही का संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा को प्रस्तुता पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

<u>विभागीय कार्यवाही का संचालन :–</u>

संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज द्वारा आरोपी श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा को आरोप पत्र की एक प्रति उपलब्ध कराया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज विभागीय कार्यवाही के संचालन के दौरान श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा से आरोप वार स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री आजाद द्वारा आरोप वार स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री आजाद द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा पर अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा से मंतब्य की मांग की गई। अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा ने अपने पत्रांक 41–2, दिनांक–07.02.2014 द्वारा श्री आजाद के कारण–पृच्छा पर मंतव्य दिया गया।

<u>संचालन पदाधिकारी का मंतव्य :–</u>

श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी द्वारा समर्पित कारण–पृच्छा पर अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा से मंतव्य की मांग की गई है। अपने पत्रांक 41–2 दिनांक 07.02.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि श्री आजाद द्वारा

समर्पित कारण-पृच्छा तथ्यहीन है एवं सत्य से पड़े है, तथा प्रतिवेदित किया गया है कि इनके सेवा में बने रहने से प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है। आरोपी द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा में कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

अतएव उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी के विरूद्ध गठित आरोप प्रमाणित होते हैं।

<u>द्वितीय कारण पृच्छाः-</u>

संचालन पदाधिकारी के मंतब्य, अधिगम एवं अभिलेख के समीक्षोपरान्त श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सीताराम आजाद राजस्व कर्मचारी से संचालन पदाधिकारी का मंतब्य, जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए द्वितीय कारण पृच्छा किया गया एवं सुनवाई हेतु दिनांक 07.07.2014 को 12.30 बजे का समय निर्धारित किया गया। निर्धारित तिथि एवं समय पर राजस्व कर्मचारी द्वारा लिखित रूप से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जो अभिलेख में संलग्न है। उनके द्वारा लिखा गया है कि पूर्व में मेरे द्वारा समर्पित साक्ष्य जो अनुमंडल पदाधिकारी, उदाकिशुनगंज को दिया गया है वह सत्य है। मैं पुनः उसे समर्पित कर रहा हूँ।

उनके द्वारा समर्पित साक्ष्य का विवेचन किया गया। प्रथम आरोप के संबंध में उनके द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र लगाया है जो 11.12.2013 को निर्गत है। जबकि अंचल अधिकारी द्वारा 26.10.2010 को ही एल0पी0सी0 के लिये स्पष्टीकरण पूछा गया है, अर्थात अंचल अधिकारी का आरोप सही है।

द्वितीय आरोप अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का है। अनाधिकृत अनुपस्थिति संबंध में आरोपित राजस्व कर्मचारी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट हो सके कि वे अनुपस्थित नहीं थे। ग्वालपाड़ा हाट में उनके द्वारा बसूल की गई राशि जमा नहीं किया गया। हाट से बसूल की गई राशि एवं भू लगान की राशि के जमा करने के संबंध में कोई स्पष्ट जवाब उनके द्वारा समर्पित नहीं किया गया है। उन्हें स्पष्ट लिखना चाहिए था कि उक्त वित्तीय वर्ष में इतनी राशि ही वसूली की गई एवं एन0 आर0 इतना द्वारा कुल राशि जमा कर दी गई है साथ ही भू लगान के संबंध में IIA एवं IIAA की प्रति लगाते हुए एन0आर0 के साथ प्रतिवेदन देना चाहिए था, जो नहीं दिया गया है। उनके स्पष्टीकरण से स्पष्ट नहीं नहीं होता है कि वसूल की गई सम्पूर्ण राशि जमा कर दी गई है। महादलितों के भूमि क्रय के संबंध में भी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे स्पष्ट हो कि उनकी गलती नहीं है।

मो0 शमशीर आलम, पिता-स्व0 नवीदउद्दीन एवं मो0वसीम अकरम, पिता-स्व0 जसीमउद्दीन, ग्राम-खोखसी, द्वारा सूचित किया गया है कि राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना किसी आदेश के दूसरे के व्यक्ति के नाम से जमाबन्दी कायम कर रसीद काट दिया गया। इस आरोप का भी जबाव उनके द्वारा नहीं दिया गया है।

उनके द्वारा श्री वास्ता वास्की, उच्च वर्गीय लिपिक, अंचल कार्यालय, चौसा को भी धोखा दिया गया है। उन्हें व्यक्तिगत ऋण के लिए जमानतदार बनाया था लेकिन ऋण जमा नहीं करने के कारण जमानतदार से राशि वसूल की गई। यह सरकारी कर्मचारी के आचरण के विरूद्ध है।

इसके अलावे लगान रसीद सं0-896547, 897428 एवं 897429 गायब करने का भी उनपर आरोप है। इस संबंध में भी उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इससे स्पष्ट होता है कि श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा सरकारी सेवा के प्रति गंभीर नहीं हैं। फलतः अनाधिकृत अनुपस्थिति, हाट एवं भू-लगान से वसूल राशि जमा नहीं करने, राजस्व रसीद गायब करने, गलत जमाबन्दी कायम करने, किसानों की गलत सूची उपलब्ध कराने ,समय पर प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने, एवं धोखाधड़ी करने के आरोप में श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा के विरुद्ध लगाया गया आरोप एक ऐसे Misconduct को सिद्ध करता है, जो सरकारी सेवक से अपेक्षित नहीं है। श्री सीताराम आजाद के विरूद्ध गंभीर कदाचार के मामले में संलिप्ता प्रमाणित होता है।

अतः बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली- 2005 एवं संशोधित नियमावली - 2007 के नियम 14 (X) में विनिद्रष्ट प्रावधान के आधार पर मैं गोपाल मीणा, भा0 प्र0 से0 जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, मधेपुरा श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा को पत्र निर्गत

की तिथि से सरकारी सेवा से बर्खास्त(Dismiss) करता हूँ। भविष्य में इन्हें पेंशन, ग्रेच्यूटी एवं अन्य सेवान्त लाभ देय नहीं होगा। भविष्य में सरकार के अधीन नियोजन के लिये निरर्हता होगी।

श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा से संबंधित विवरणीः-

1.	सरकारी सेवक का नामः-	श्री सीताराम आजाद
2.	पिता का नामः-	स्व0 नीरती साह
3.	जन्म तिथिः-	15.07.1975
4.	नियुक्ति की तिथिः-	19.09.1995
5.	वेतनमानः-	5200-20200, ग्रेड पे-1900
6.	स्थायी पताः-	ग्राम-लक्ष्मीनिया, पो0- धनछोहा, थाना- सौर बाजार, जिला-सहररसा।

ह0/-

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 626-2/स्था0, मधेपुरा, दिनांक 26.07.2014 ।

प्रतिलिपिः- श्री सीताराम आजाद, राजस्व कर्मचारी, अंचल कार्यालय, ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित। आदेश दिया जाता है कि श्री सीताराम आजाद के सेवापुस्त में तत्संबंधी प्रविष्टि दर्ज कर अनुपालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपिः- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं जिला गजट में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप-विकास आयुक्त, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/अपर समाहर्त्ता, आ0प्र0,मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/ भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, मधेपुरा/उदाकिशुनगंज/सभी प्रभारी पदाधिकारी, समाहरणालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सभी विभागाध्यक्ष, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- अधीक्षक, राष्ट्रीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा/ आई टी मैनेजर, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं मधेपुरा जिला के वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26/07/14

जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता,
मधेपुरा।